

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 13, गुरुवार, शाके 1947- सितम्बर 04, 2025 Bhadra 13, Thursday, Saka 1947- September 04, 2025	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 04, 2025

संख्या एफ. 13(13)विशा/विस/2025 :-राजस्थान विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2025 जैसा कि दिनांक 04 सितम्बर, 2025 को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

2025 का विधेयक सं. 13

राजस्थान विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2025

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

वित्तीय वर्ष 2025-2026 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का नाम राजस्थान विनियोग (सं.3) अधिनियम, 2025 है।
2. वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए राज्य की समेकित निधि में से 25,75,75,13,000/- रु. का दिया जाना.- अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान, संदाय के अनुक्रम में आने वाले विभिन्न प्रभारों का चुकारा करने के लिए राज्य की समेकित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक और कुल मिलाकर मात्र 25,75,75,13,000/- रु. (दो हजार पांच सौ पचहत्तर करोड़ पचहत्तर लाख तेरह हजार रुपये) की राशियाँ संदत्त और उपयोजित की जा सकेंगी।

3. विनियोजन.- इस अधिनियम द्वारा राज्य की समेकित निधि में से संदत्त और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत की गयीं राशियाँ उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जायेंगी।

(Authorised English Version)

Bill No. 13 of 2025

THE RAJASTHAN APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 2025

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the services of the financial year 2025-2026.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Appropriation (No. 3) Act, 2025.

2. Issue of Rs. 25,75,75,13,000/- out of the Consolidated Fund of the State for the financial year 2025-2026.- From and out of the Consolidated Fund of the State there may be paid and applied the sums not exceeding those specified in Column 2 of the Schedule and amounting in the aggregate to the sums of **Rs. 25,75,75,13,000/-** (Rupees Two thousand Five hundred Seventy Five crore Seventy Five lakh Thirteen thousand) only towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2025-2026 in respect of the services specified in Column 1 of the Schedule.

3. Appropriation.- The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

अनुसूची
THE SCHEDULE

वर्ष 2025-2026 के लिये अनुपूरक विनियोगों और अनुदानों के लिये मांगों की अनुसूची
(प्रथम संकलन)

(SCHEDULE OF SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS AND APPROPRIATIONS
FOR THE YEAR 2025-2026)(First Batch)

(देखिये धारा 2 और 3) (रुपये सहस्र में)
(See Section 2 and 3) (Rupees in
thousand)

अनुपूरक विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं है Supplementary Appropriation not exceeding					
सेवाएं और प्रयोजन Services and Purposes	दत्तमत Voted		प्रभृत्त Charged		योग Total
	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	
	1	2	3	4	5
मांग संख्या - 3 (ब्याज अदायगियां)					
2049. ब्याज अदायगियां Interest Payments	..	..	30	..	30
योग (Total)	..	..	30	..	30
मांग संख्या - 4 (लोक ऋण का पुनर्भुगतान)					
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण Internal Debt of the State Government	..	..	.. 15,87,47,79		15,87,47,79
योग (Total)	..	..	.. 15,87,47,79		15,87,47,79
मांग संख्या - 9 (निर्वाचन विभाग)					
2015. निर्वाचन Elections	2	..	8,09	..	8,11

योग (Total)	2	..	8,09	..	8,11
मांग संख्या - 13					
(कोष एवं लेखा प्रशासन)					
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन Treasury and Accounts Administration	1	..	..	..	1
2075. विविध सामान्य सेवाएं Miscellaneous General Services	1	..	..	..	1
योग (Total)	2	..	..	..	2
मांग संख्या - 15					
(पेंशन)					
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ Pensions and Other Retirement Benefits	1	..	..	..	1
योग (Total)	1	..	..	..	1
मांग संख्या - 16					
(राजस्व विभाग)					
2053. जिला प्रशासन District Administration	..	..	9,24	..	9,24
योग (Total)	..	..	9,24	..	9,24
मांग संख्या - 18					
(गृह विभाग)					
2055. पुलिस Police	..	..	45,00	..	45,00
योग (Total)	..	..	45,00	..	45,00
मांग संख्या - 22					
(उच्च शिक्षा विभाग)					
2202. सामान्य शिक्षा General Education	..	..	10,00,00	..	10,00,00
योग (Total)	..	..	10,00,00	..	10,00,00

मांग संख्या - 23

(संस्कृत शिक्षा विभाग)

2202. सामान्य शिक्षा	3	..	..	..	3
General Education					
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	..	2	..	..	2
Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture					
योग (Total)	3	2	..	..	5

मांग संख्या - 27

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)

4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	..	6,67,32,06	..	..	6,67,32,06
Capital Outlay on Medical and Public Health					
योग (Total)	..	6,67,32,06	..	..	6,67,32,06

मांग संख्या - 29

(आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग)

2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	..	..	6	..	6
Medical and Public Health					
योग (Total)	..	..	6	..	6

मांग संख्या - 30

(जनजाति क्षेत्रीय विकास)

2202. सामान्य शिक्षा	5	..	..	..	5
General Education					
2217. शहरी विकास	16	..	..	..	16
Urban Development					
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यको का कल्याण	1	..	..	..	1
Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes,					

Other Backward Classes and Minorities					
2406.	वानिकी तथा वन्य प्राणी Forestry and Wild Life	12	..	..	12
2425.	सहकारिता Co-operation	1	..	..	1
2515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम Other Rural Development Programmes	2	..	..	2
4059.	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Public Works	..	1	..	1
4202.	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	..	4	..	4
4210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Medical and Public Health	..	1	..	1
4217.	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Urban Development	..	10	..	10
4236.	पोषण पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Nutrition	..	1	..	1
4406.	वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Forestry and Wild Life	..	4	..	4
योग (Total)		37	21	..	58

मांग संख्या - 31

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों का कल्याण Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	..	..	1,00	..	1,00
---	----	----	------	----	------

योग (Total)

..	..	1,00	..	1,00
----	----	------	----	------

मांग संख्या - 32

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

2236. पोषण Nutrition	..	..	16,30	..	16,30
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Nutrition	..	1	..	..	1

योग (Total)

..	1	16,30	..	16,31
----	---	-------	----	-------

मांग संख्या - 36

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग)

2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत Relief on account of Natural Calamities	3,00,00,06	..	..	..	3,00,00,06
--	------------	----	----	----	------------

योग (Total)

3,00,00,06	..	..	..	3,00,00,06
------------	----	----	----	------------

मांग संख्या - 39

(नगरीय विकास एवं आवासन विभाग)

4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Urban Development	..	1	..	..	1
--	----	---	----	----	---

योग (Total)

..	1	..	..	1
----	---	----	----	---

मांग संख्या - 40

(स्वायत्त शासन विभाग)

2217. शहरी विकास Urban Development	12	..	..	..	12
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत	..	13	..	5,82,62	5,82,75

परिव्यय

Capital Outlay on Urban

Development

योग (Total)	12	13	..	5,82,62	5,82,87
-------------	----	----	----	---------	---------

मांग संख्या - 41**(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग)**

2215. जल पूर्ति तथा सफाई Water Supply and Sanitation	..	..	1,60,59	..	1,60,59
--	----	----	---------	----	---------

योग (Total)	..	..	1,60,59	..	1,60,59
-------------	----	----	---------	----	---------

मांग संख्या - 42**(जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग)**

2701. मध्यम सिंचाई Medium Irrigation	..	..	83,40	..	83,40
---	----	----	-------	----	-------

4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Major Irrigation	..	..	..	7,65	7,65
--	----	----	----	------	------

योग (Total)	..	..	83,40	7,65	91,05
-------------	----	----	-------	------	-------

मांग संख्या - 44**(सार्वजनिक निर्माण विभाग)**

2059. लोक निर्माण कार्य Public Works	..	..	1,01	..	1,01
---	----	----	------	----	------

3054. सड़क तथा सेतु Roads and Bridges	..	..	1,68,05	..	1,68,05
--	----	----	---------	----	---------

योग (Total)	..	..	1,69,06	..	1,69,06
-------------	----	----	---------	----	---------

मांग संख्या - 46**(कृषि विभाग)**

2435. अन्य कृषि कार्यक्रम Other Agricultural Programmes	1	..	..	..	1
---	---	----	----	----	---

योग (Total)	1	..	..	..	1
-------------	---	----	----	----	---

मांग संख्या - 48**(उद्यानिकी विभाग)**

2401. फसल कृषि-कर्म	..	..	1,63	..	1,63
Crop Husbandry					
योग (Total)	..	..	1,63	..	1,63

मांग संख्या - 49**(गोपालन विभाग)**

2403. पशु-पालन	2	..	..	..	2
Animal Husbandry					
योग (Total)	2	..	..	..	2

मांग संख्या - 50**(सहकारिता विभाग)**

2059. लोक निर्माण कार्य	1	..	..	..	1
Public Works					
2425. सहकारिता	1	..	..	..	1
Co-operation					
योग (Total)	2	..	..	..	2

मांग संख्या - 51**(अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना)**

2202. सामान्य शिक्षा	3	..	..	..	3
General Education					
2217. शहरी विकास	16	..	..	..	16
Urban Development					
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी	12	..	..	..	12
Forestry and Wild Life					
2425. सहकारिता	1	..	..	..	1
Co-operation					
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	2	..	..	..	2
Other Rural Development Programmes					
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	..	1	..	..	1
Capital Outlay on Public Works					
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	..	2	..	..	2

	पर पूंजीगत परिव्यय				
	Capital Outlay on				
	Education, Sports, Art and				
	Culture				
4210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	..	1	..	1
	Capital Outlay on Medical and Public Health				
4217.	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	..	10	..	10
	Capital Outlay on Urban Development				
4236.	पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	..	1	..	1
	Capital Outlay on Nutrition				
	योग (Total)	34	15	..	49

मांग संख्या - 53**(ग्रामीण विकास विभाग)**

2515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	3	..	21	..	24
	Other Rural Development Programmes					
	योग (Total)	3	..	21	..	24

मांग संख्या - 55**(खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग)**

3456.	सिविल पूर्ति	..	..	7,42	..	7,42
	Civil Supplies					
	योग (Total)	..	..	7,42	..	7,42

मांग संख्या - 58**(खान विभाग)**

2853.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	4	..	1,05	..	1,09
	Non ferrous Mining and Metallurgical Industries					
4059.	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	..	1	..	..	1
	Capital Outlay on Public					

Works

4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	..	1	..	..	1
योग (Total)	4	2	1,05	..	1,11

मांग संख्या - 60

(सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग)

3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी Census Surveys and Statistics	2	..	..	..	2
योग (Total)	2	..	..	..	2

योग-समेकित निधि(Total
Consolidated Fund)

3,00,01,11 6,67,32,61 15,03,35 15,93,38,06 25,75,75,13

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, इसके साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार, 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय की और विधान सभा द्वारा किये गये अनुदानों की पूर्ति के लिए अपेक्षित धनराशियों का, उक्त समेकित निधि में से विनियोजन किये जाने का उपबन्ध करने के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित उसके अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में, पुरःस्थापित किया जाता है।

दिया कुमारी,
प्रभारी मंत्री।

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Bill is introduced in pursuance of Article 204(1) of the Constitution of India read with Article 205 thereof to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and the grants made by the Legislative Assembly for the financial year 2025-2026 ending on the 31st day of March, 2026 as per Schedule appended to the Bill.

DIYA KUMARI,
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन राज्यपाल महोदय की सिफारिश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के प्रसंग में, मैं इसके द्वारा राजस्थान विनियोग (सं.3) विधेयक, 2025 को राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत तथा प्रस्तावित किये जाने और उक्त विधान सभा द्वारा उस पर विचार किये जाने की सिफारिश करता हूँ।

राजस्थान विधान सभा

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

वित्तीय वर्ष 2025-2026 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।

A
Bill

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the services of the financial year 2025-2026.

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

BHARAT BHUSHAN SHARMA,
Principal Secretary.

Government Central Press, Jaipur.